प्रतियोगिता | अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कुश्ती प्रतियोगिता शुरू, पहले दिन फ्रीस्टाइल के मुकाबलों में पहलवानों ने दिखाया दमखम

पहलवान नरेन्दर यादव ने राजेश कुमार को किया चित

नवभारत , जबलपुर । रेलवे स्टेडियम में मंगलवार से रेलवे सुरक्षा बल के पहलवानों के बीच कुश्ती मुकाबले शुरू हो गए। पश्चिम मध्य रेलवे की मेजबानी में 37वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कुश्ती प्रतियोगिता-2026 आयोजित की जा रही है। पहले दिन फ्रीस्टाइल के अलग-अलग भार वर्गों में मुकाबले हुए। देशभर से रेलवे सुरक्षा बल की टीमों के पहलवान प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक राजीव कुमार यादव ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने सलामी देने के बाद खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ ली। इसके बाद मैट पर मुकाबलों का दौर शुरू हुआ। प्रतियोगिता में 65 से 125 किग्रा तक के भार वर्गों में मुकाबले खेले गए।

मैट पर दिखी ताकत और तकनीक

पहले दिन 65 से 125 किग्रा तक के भार वर्गों में फ्रीस्टाइल मुकाबले हुए। 65 किग्रा वर्ग में पश्चिम मध्य रेलवे के शिवमान ने पश्चिम रेलवे के अमित को चित किया, जबकि रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लोकेश ने अमित को 10-0 से हराया। 70 किग्रा वर्ग में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के नवीन ने उत्तर पश्चिम रेलवे के मोहित को 10-0 से शिकस्त दी। उत्तर रेलवे के जयबीर ने दिनेश को चित किया। पश्चिम रेलवे के शिवराम गुर्जर ने पवन कुमार को 10-5 से हराया। 74 किग्रा वर्ग में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के रिषी ने उत्तर मध्य रेलवे के बी.के. यादव को 14-4 से मात दी। उत्तर पूर्व रेलवे के राजीव यादव ने दीपक को चित किया, जबकि एक अन्य मुकाबले में नवीन ने 8-5 से जीत दर्ज की।

चित के साथ अंकों से भी तय हुए मुकाबले

79 किग्रा वर्ग में उत्तर मध्य रेलवे के सुदर्शन यादव ने राजेश कुमार को चित किया। उत्तर रेलवे के आशीष ने दिनेश यादव को चित कर जीत हासिल की। रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जगमिन्दर ने राकेश को 14-6 से हराया। 86 किग्रा वर्ग में रेलवे सुरक्षा विशेष बल के भूपेन्द्र ने उत्तर रेलवे के विनोद को 10-0 से पराजित किया। दिनेश ने मध्य रेलवे के अरविन्द फरखे को चित किया, जबकि उत्तर पूर्व रेलवे के नरेन्दर यादव ने राजेश कुमार यादव को चित कर मुकाबला अपने नाम किया। 92 किग्रा वर्ग में मध्य रेलवे के दादा जादव ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल के रिषी को 5-0 से हराया। उत्तर रेलवे के अनिल और धर्मेन्द्र ने क्रमशः जवाहर यादव और जनार्दन यादव को चित किया।

भारी भार वर्ग में भी जोरदार टक्कर

97 किग्रा वर्ग में उत्तर रेलवे के हरदीप ने राकेश कुमार को चित किया। पश्चिम रेलवे के बसन्त ने रामचन्द्र को 6-2 से हराया। वहीं 125 किग्रा वर्ग में उत्तर पूर्व रेलवे के अमरनाथ ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जयवीर को चित किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीरेन्द्र कुमार ने लक्ष्मण को चित किया, जबकि उत्तर रेलवे के समशेर ने सुधीर कुमार को हराया। पहले दिन के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक क्षमता के साथ तकनीक, धैर्य और अनुशासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 10 सितंबर तक चलेगी और आगामी दिनों में विभिन्न भार वर्गों के मुकाबले जारी रहेंगे।

इनका कहना है

मुकाबला अच्छा रहा। शुरुआत में थोड़ा दबाव रहता है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, खेल पर फोकस बन जाता है। सामने वाला खिलाड़ी भी अच्छी तैयारी के साथ आया है, इसलिए हर मुकाबले में अपनी रणनीति के हिसाब से खेलना पड़ता है।

परिक्षित तोमर , प्रतिभागी

मैं 2015 से इस तरह की प्रतियोगिताओं में खेल रहा हूं और इस बार आरपीएसएफ की टीम से हिस्सा ले रहा हूं। इतने साल खेलने के बाद अनुभव तो बढ़ा है, लेकिन हर मुकाबला अलग होता है और मैट पर उतरते ही नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। आज का मुकाबला अच्छा रहा।

दीपक दलाल , प्रतिभागी

सेवा और संस्कृति को समर्पित जीवन के 70 वर्ष : स्वामी रामचंद्रदास

नवभारत,जबलपुर। स्कारधानी में सेवा, समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वामी रामचंद्रदास जी महाराज का 87वां जन्मोत्सव उनके सात दशकों की समाजसेवा, राष्ट्रसेवा और आध्यात्मिक साधना की प्रेरणादायी यात्रा का स्मरण कराता है। 9 सितंबर 1940 को खुन्नेलाल जी अग्रवाल एवं रुक्कन बाई के घर जन्मे स्वामी जी का नाम मिठाईलाल अग्रवाल रखा गया था, लेकिन वे स्नेह से 'मिट्ठू भैया' के नाम से लोकप्रिय हुए। महज 9 वर्ष की आयु में 1949 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने सामाजिक जीवन की शुरुआत की और हनुमान शाखा के मुख्य शिक्षक रहे। 1964 में जिलहरीघाट तैराकी क्लब की स्थापना तथा 1965-66 में अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। पैतृक आयुर्वेद व्यवसाय को विस्तार देते हुए 1970 में बाबा आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित की, जिससे 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। भारतीय जनसंघ से जुड़कर उन्होंने 1967, 1970 के उपचुनाव और 1972 के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं तथा अनेक वरिष्ठ राष्ट्रवादी नेताओं का सान्निध्य प्राप्त किया।

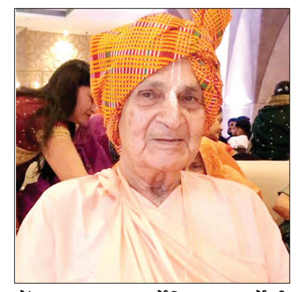

आपातकाल के दौरान हुए थे भूमिगत

आपातकाल के दौरान जून 1975 में भूमिगत रहकर उन्होंने 15 जिलों में संघ साहित्य पहुंचाने का कार्य किया और 12 वर्षों तक जबलपुर ग्रामीण, कटनी, पन्ना, जशपुर-अंबिकापुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभाग प्रचारक के रूप में सेवा दी। 1989 में इस्कॉन से गुरु दीक्षा और 1991 में फ्रांस में संन्यास दीक्षा के बाद वे मिठाईलाल से स्वामी रामचंद्रदास बने तथा इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, मलेशिया सहित 35 देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। संतों के सान्निध्य और अध्यात्म के प्रति समर्पण के साथ वर्तमान में वे भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्णा आश्रम में करीब 100 गायों की गौशाला का संचालन कर रहे हैं। वहीं 4 अप्रैल 2011 से शुरू की गई उनकी निःशुल्क चलित प्रसादम सेवा 15 वर्षों से निरंतर जारी है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन करीब 200 लोगों को भोजन कराया जाता है। सेवा, संस्कार, राष्ट्रचेतना और आध्यात्मिकता का यह समन्वय उनके जीवन को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनाता है।

यादव कॉलोनी में प्रसाद का किया गया वितरण

नवभारत,जबलपुर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप यादव कॉलोनी में मनाया गया। इस मौके पर शिवम तिवारी, शेरू रैकवार ,दीपेश, सोनू, निर्मल सिंह,रत्नेश अग्रवाल,इलु महाराज,लालू चौबे,बाबू चौबे, मानस गुप्ता,एवं भारी संख्या में युवा उपस्थित हुए । आयोजन में प्रसाद का भी बड़े स्तर पर वितरण किया गया जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण किया।

बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया 121वां स्थापना दिवस

नवभारत,जबलपुर। बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर अंचल अपने विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं सहित अपने बैंक के 121 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित कर स्थापना दिवस मनाया। बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर अंचल के आंचलिक प्रबन्धक रमेश कुमार के नेतृत्व एवं उप-आंचलिक प्रबन्धक संतोष सहाय के समन्वय से इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें 35 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने रक्तदान किया। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया अधिकारियों ने सुबह गौरीघाट पर नर्मदा आरती कर जरूरतमंदों को भोजन प्रसाद वितरण किया एवं विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण भी किया। साथ ही साथ ग्राहकों हेतु स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया।

शाखा स्तर पर ग्राहकों एवं सेवा निवृत कर्मचारियों के साथ सौहद्र बैठक का आयोजन कर बैंक के व्यवसाय वृद्धि में उनके योगदान हेतु उनका धन्यवाद किया। स्थापना दिवस पर जबलपुर अंचल द्वारा कृषि ऋण, खुदरा ऋण एवं एमएसएमई ऋण आदि सहित कुल ?20 करोड़ के ऋणों का संवितरण भी किया गया।

आशा-लता के सुनहरे युगल गीतों से सजेगी सुरमयी शाम

नवभारत,जबलपुर। संगीत प्रेमियों के लिए आज 9 सितंबर को शाम 6.30 बजे दत्त मंदिर स्थित अनुसूया हॉल में सुरों की यादगार महफिल सजेगी। संध्या जैन के संयोजन में गुंजनकला सदन द्वारा आयोजित 'गुंजन गीतमाला' में स्वर-साम्राज्ञी लता मंगेशकर एवं आशा भोसले के सुनहरे दौर के लोकप्रिय युगल गीतों की प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में रितेश चंदेल, अजय जड़िया, जी.बी. अग्रवाल, पुरुषोत्तम शर्मा, आलोक अबी दराजी, थॉमस डिक्रूज, विजय बेन, सुशील श्रीवास्तव, सुरेश मोदी, राज, भगवानदास, कमलेश सोनी, के.के. उपाध्याय, गंगा बावरिया, राजा हर्ले, विपिन, मनीष, दिलीप चांदनी एवं मधुर परनामी सहित अनेक गायक अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, वहीं तृप्ति निगम, सविता ठाकुर, भक्ति, प्रीति मिश्रा, मृदुला, माया पांडे एवं रचना मनीष सहित नगर की प्रतिष्ठित गायिकाएं भी गीतों की प्रस्तुति देंगी। आयोजक संध्या जैन, राजेश पाठक एवं प्रवीण ने संगीतप्रेमी श्रोताओं से कार्यक्रम में उपस्थित होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

मंगला गौरी पूजन में संस्कृति की रंगारंग छटा

नवभारत,जबलपुर। सर्व मंगला महिला समिति द्वारा दत्त मंदिर, गोलबाजार में मंगला गौरी पूजन एवं उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ फुगड़ी, झिम्मा, उखाणे सहित मंगला गौरी के पारंपरिक खेलों की भव्य प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का रंग भर दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी से आयोजन स्थल पर उत्सवी माहौल बना रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीना वाते, प्रीती गोरे, प्रीती जोशी, स्वाति गाडगिल, रंजना वर्तक एवं सोनल उज्जैनकर का सक्रिय योगदान रहा, जबकि जया पागे, राधिका, आशु, स्वराली, वंदना, अमिता, अर्चना, अश्विनी, दीप्ति, खेता एवं अनिता ने सहयोग प्रदान किया।

13 को होगी विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता

नवभारत,जबलपुर। ध्यप्रदेश विद्युत परिवार हिंदी समिति एवं केन्द्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिंदी महोत्सव के अंतर्गत 13 सितंबर को सुबह11 बजे रामपुर स्थित कल्याण भवन में स्कूली विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता तीन आयु-वर्गों में आयोजित होगी। इसमें कक्षा पहली से तीसरी, कक्षा चौथी से सातवीं तथा कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के लिए ड्राइंग शीट आयोजन समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि रंग, पेंसिल एवं अन्य रेखांकन सामग्री की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी। इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों के विद्यालय में अध्ययनरत पुत्र एवं पुत्रियां सहभागिता कर सकेंगे।

In The Court of VI Additional District and Session Judge, District Court, Jabalpur
Presiding Officer: किशोर कुमार मिश्रा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC GW/0000048/ 2026)
सुनाली कोरी संरक्षक
मां वंदना बाई कोरी.............वादी
Vs
आम जनता................प्रतिवादी
Process Id-/ 2026, पेशी दिनांक 14/10/2026
प्रेषिती- (1.) आम जनता पता- जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

यह कि प्रार्थी सुनाली कोरी संरक्षक मां वंदना बाई कोरी ने आपके विरूद्ध एमजेसी जीडब्लू आवेदन पत्र वास्ते नाबालिक की भूमि विक्रय करने की अनुमति बावत के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करायें। यह आज तारीख 01 सितम्बर 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। नोट- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय की मुद्रा
(के.के. मिश्रा)
जिला न्यायाधीश (षष्टम)
जबलपुर (म.प्र.)

पश्चिम मध्य रेल
सामग्री प्रबंधन विभाग
(भंडार आपूर्ति हेतु ई- निविदा सूचना, संख्या/ईपीएस/30/2026)
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तालिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नही किए जाएंगे। पूर्ण विवरण/विनिर्देशन के लिए वेबसाईट https://ireps.gov.in पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की सकती है।

क्र.	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	30265016	FRP मॉडुलर टॉयलेट (PRE असेंबल्ड) फॉर LHB AC	20 सेट्स	25/09/2026
2	20264294	जिंक क्रोमटेड (डिप्पिंग प्रोसेस) आयल कुलर रेडियेटर	38 सेट्स	28/09/2026
3	8125WCR TP-05B	Manufacture एंड सप्लाई ऑफ कम्पोजिट GROOVED रबर सोले प्लेट (CGRSP)-10MM थिकनेस फॉर यूज विथ WIDER PSC स्लीपर	2933420 नंबर्स	29/09/2026
4	65265006A	सप्लाई, इंस्टालेशन - कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड Synchronised स्क्रू लिफ्टिंग जैक्स (सेट ऑफ 5 जैक्स)	02 सेट्स	29/09/2026
5	61262401	एंडलेस "V" बेल्ट C-122 (प्रिसिशन बिल्ट बेल्ट	1770 सेट्स	30/09/2026
6	61264579	टूल किट बैग फॉर ट्रैक मैनटाइनर्स	16469 नंबर्स	06/10/2026
7.	38261769	स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट फॉर CBC	75579 नंबर्स	07/10/2026
8	20255006A	3 फेज असिंक्रोनोस ट्रैक्शन मोटर	56 नंबर्स	12/10/2026
9	38265016	सेफ्टी वाल्व फॉर BTPGLN टैंक वैगन	50 नंबर्स	13/10/2026
10	50263055	सील्ड मेंटेनेंस फ्री VRLA बैटरी सेट ऑफ 60 सेल्स	81 सेट्स	30/10/2026
11	50263084A	सील्ड मेंटेनेंस फ्री VRLA बैटरी सेट ऑफ 60 सेल्स	35 सेट्स	30/10/2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के लिए इच्छुक फर्मों को www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है। (हस्ता)
कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रांझी जबलपुर
रा.प्र.क्र.1048/अ-6/2026-27
आम इश्तहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका **श्रीमति मंजूलता चौधरी पति स्व.श्री रविन्द्र कुमार जैन** निवासी 295, संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर द्वारा ग्राम कजरवारा प.ह.नं. 10 नं.ब. 505 ख.नं. 369/3 रकबा 0.0490 हे./वर्गफुट भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र/वसीयतनामा/सहमति पत्र/ फौती के आधार पर शासकीय अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त भूमि आवेदिका के नाम दर्ज किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस न्यायालय के कक्ष क्र. 32 में तारीख पेशी के पूर्व पेश कर सकता है। समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी।
जारी दिनांक-07/09/2026
पेशी दिनांक- 15/09/2026
[FOC]
न्यायालय की मुद्रा
अतिरिक्त तहसीलदार
रांझी जबलपुर

In The Court of XXIII Civil Judge Class-1, District Court, Jabalpur
Presiding Officer : किरण वर्मा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A6000701/2026)
रितेश पांडे.........वादी
Vs
आशा पांडेय.......प्रतिवादी
Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 07/10/2026
प्रेषिती-
1) आशा पांडेय पिता स्व. शिवचरण पांडे पता बी-3 आस्था परिसर न्यू रामनगर अमखेरा जबलपुर म.प्र.
यह कि प्रार्थी रितेश पांडे ने आपके विरूद्ध सिविल सूट ए दावा वास्ते घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर अपील का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस अपील में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।
यह आज तारीख 03 September 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं।
न्यायालय की मुद्रा
सील
न्यायाधीश
किरण वर्मा
तेईसवां व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ जबलपुर (म.प्र.)

पश्चिम मध्य रेल
यांत्रिक शाखा,
एकल निविदा, ई-निविदा दिनांक- 04.09.2026
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस) पश्चिम मध्य रेल नई कटनी जंक्शन, भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करते हैं :- **निविदा सूचना क्रमांक** : न.क.ज.-डीएलएस-एएमसी-एएएल-एसआईवी-टी-26 दिनॉक 04/09/2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित** : डीजल लोको शेड, नई कटनी जंक्शन के विद्युत लोकोमोटिव में लगे हुए मेसर्स एएएल मेक स्टेटिक इनवर्टरों (एसआईवी) का तीन वर्षों के लिये एनुअल मेन्टेनेंस कॉन्ट्रेक्ट (एएमसी), **निविदा का अनुमानित मूल्य (रूपये में)** : रू 2,17,02,872.28/- **बिड सिक्योरिटी राशि (रूपये में)** : रु. 4,34,100/-, **समापन अवधि (माह)** : 36 माह, **निविदा भरने की अंतिम तिथि एवं समय (12.00 बजे तक)** : **28/09/2026,** उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी बेब साइड "http://ireps.gov.in" पर उपलब्ध है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । (हस्ता)
कृते वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस)
पश्चिम मध्य रेल, नई कटनी जंक्शन
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर
निविदा-सूचना
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन-लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	न.नि.ज./प्रकाश/2026-27 /15/पी.आर.ओ./546 दिनांक 08/09/2026	External Electrification work at Ward No. 51 Jabalpur.	06 माह एवं 450170/-	2000/- एवं 4502/-	30/09/2026 (2nd Call)

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑन-लाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
कार्यपालन यंत्री(विद्युतीय) नगर पालिक निगम, जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी (म.प्र.)
E-mail ID : modgmseo@mp.gov.in
क्रमांक/खनिज/उ.प./I/1282137/2026 सिवनी, दिनांक : 02/09/2026
प्रथम-सूचना
म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम,18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए
यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक **श्री रमेश अग्रवाल** आ.श्री रोषनलाल अग्रवाल नि. अकबर वार्ड, बारापत्थर सिवनी तह. व जि. सिवनी म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 14/08/2026 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 05/10/2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगे। **आवेदन का संक्षिप्त विवरण**

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
सिवनी	सिवनी	गंगेरूआ	4 एवं 5	क्रमश 1.280 हे. एवं 1.80 हे. कुल 3.08 हे. में से 2.75 हे.	निजी भूमि	बोल्डर गिट्टी	-
			कुल रकबा	2.75 हे.			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथी तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

जी-18318/26 | स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता
प्रभारी अधिकारी
खनिज शाखा जिला-सिवनी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम | **Union Bank of India** A Government of India Undertaking
Mob.- 7067601921, 9918502858
स्वर्ण आभूषण की नीलामी
नीचे निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ऋण खातों में देयत राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं । बैंक द्वारा इस संदर्भ में नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है । अतः उनसे बकाया ऋण राशि एवं अन्य खर्चों का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है। वे दिनांक 23/09/2026 को या उससे पहले गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को अपनी देयतायें एवं अन्य खर्चे जमा कर मुक्त करवा सकते हैं । अन्यथा बैंक द्वारा उक्त प्रतिभूतियों को बैंक परिसर में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से दिनांक 23/09/2026 को दोपहर 3.00 बजे या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक दिनांक पर बिना किसी सूचना के बेच दी जाएगी।

क्र. सं.	खाता नाम	कुल बकाया	ब्रांच का पता और स्थान
1.	Prachi Devi Duseja W/o Vikram Kumar Duseja	Rs. 56168.87/- +interest from 17-07-2025	Union Bank of India - Jabalpur Road, Katni Branch, M.S.R. Groups, MM Choubey Ward Katni Jabalpur Road, Katni-483501
2.	RAHUL KUMAR TIWARI	Rs. 7743/- +interest from 30-03-2024	Union Bank of India - Jabalpur Road, Katni Branch, M.S.R. Groups, MM Choubey Ward Katni Jabalpur Road, Katni-483501
3.	Mo. RIZWAN	Rs. 210475/- +interest from 20-11-2024	Union Bank of India - Madan Mahal Branch, 1935, Opp. Gulati Petrol Pump, Madan Mahal Jbp-Nagpur Road, Jabalpur - 482002
4.	ARPIT BANSHKAR	Rs. 89867/- +interest from 28-02-2024	Union Bank of India - Mandla Civil Lines Branch, Besides.ES.office, Dr Radhakrishanan Ward mandla, Jabalpur - Raipur Main Road Mandla - 481661
5.	PHULCHI WO MANTU LAL	Rs. 56871/- +interest from 23-02-2025	Union Bank of India - Mandla Main Branch, Sadar Bhagat Singh Ward, Near Old Sudarshan Talkies, Main Road, Mandla - 481661

Date : 09/09/2026 — Authorised Officer

फॉर्म नंबर IV
न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
द्वितीय एवं तृतीय तल संचार विकास भवन, (बी.एस.एन.एल. बिल्डिंग) मुख्य पोस्ट आफिस के पास, रेसिडेन्सी रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश 482001
हाज़िर होने और कारण बताने के लिए समन
ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)
मूल आवेदन संख्या - 241/2023
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक
बनाम
मेसर्स कीर्ति इंटरप्राइजेज — अनावेदकगण
प्रति, 1. मेसर्स कीर्ति इंटरप्राइजेज अपने स्वामी सुश्री कीर्ति बर्मन पुत्री श्री शंकरलाल बर्मन के माध्यम से पता- ग्राम सुखा, तहसील- पनागर, जिला- जबलपुर म.प्र.
साथ ही- ह.नो. 2489, गढ़ा, पूर्व, जबलपुर म.प्र.।
जबकि ओ.ए. संख्या 241/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 30/03/2023 को सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि, माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन / सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरूद्ध मात्र 25,49,710.00/- रूपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं कि:
1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट संपत्तियो और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियो या परिसंपत्तियो का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियो की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियो और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता हैं।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिक्री पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और/ या मूल आवदेन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि क हिसाब देने के कलिये उत्तरदयी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखिल करने और 16/11/2026 को सुबह 10:30 बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।
इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (म. प्र.)

फॉर्म नंबर IV
न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़
द्वितीय एवं तृतीय तल संचार विकास भवन, (बी.एस.एन.एल. बिल्डिंग) मुख्य पोस्ट आफिस के पास, रेसिडेन्सी रोड, जबलपुर मध्यप्रदेश 482001
हाज़िर होने और कारण बताने के लिए समन
ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रक्रिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)
मूल आवेदन संख्या - 247/2023
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक
बनाम
मेसर्स माया इंडस्ट्रीज — अनावेदकगण
प्रति, 1. मेसर्स माया इंडस्ट्रीज थ्रू इट्स प्रोपराइटर श्रीमती माया देवी पत्नी श्री मुकेश मिश्रा पता- ग्राम- रिछाई, तहसील- पनागर, जिला- जबलपुर म.प्र.।
साथ ही- 3303/28, आई.टी.आई. मढोताल, निखार ब्यूटी पार्लर के पीछे, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर, जिला- जबलपुर म.प्र.।
जबकि ओ.ए. संख्या 247/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 30/03/2023 को सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि, माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन / सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरूद्ध मात्र 26,25,993.00/- रूपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं कि:
1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट संपत्तियो और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियो या परिसंपत्तियो का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियो की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियो और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता हैं।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिक्री पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और/ या मूल आवदेन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि क हिसाब देने के कलिये उत्तरदयी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखिल करने और 30/09/2026 को सुबह 10:30 बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।
इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया।
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (म. प्र.)